श्री सभापति : आप बीच में मत बोलिए। कोई रिकार्ड नहीं हो रहा है। आप जो बोल रही है यह लिखा नहीं जाएगा। आप बैठ जाइए। ...(**व्यवधान**).. जवाब तो दे दिया।

श्री नीतीश कुमार: इस कोलायत फलौदी को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है और रक्षा मंत्रालय से भी इसके लिए धन आवंटित हुआ है।

Review of working of Bharat Shiksha Kosh

*85.SHRI R.P.GOENKA:
SHRI ABU ASIM AZMI:

Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether Government have set up a Bharat Shiksha Kosh to make it a sole authority to receive and disburse funds donated by alumnus to their alma mater in India.

(b) whether Government have reviewed the working of the Bharat Shiksha Kosh;

(c) if so, the result thereof;

(d) whether it is also a fact that due to such interception by Government in the flow of funds to IITs and IIMs, the wishes of the donors are not honoured and the donors are becoming hesitant to further donate; and

(e) if so, the steps taken to allay the fears of the donors, especially the N.R.I's and also to clarify the role of Government in utilising these contributions?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DR. VALLABHBHAI RAMJIBHAI KATHIRIA): (a) to (e) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) to (e) The Bharat Shiksha Kosh has been constituted as a registered Society registered under the Societies Registration Act, 1860 to mobilize extra budgetary resources for educational development. The Kosh was

launched on 9th January, 2003 during the celebrations of the Pravasi Bharatiya Diwas. The Government has made a one time contribution of Rs. 1.00 crore to the Kosh.

Instructions were issued on 21.2.2003 that all the institutions/ Autonomous bodies/Public Sector Undertakings under the Department of Secondary and Higher Education and the Department of Elementary Education and Literacy, which receive donations/grants from any external sources (other than Government support) for educational and research activities, shall get such donations/grants routed through the Bharat Shiksha Kosh. The donors would be requested to make such contributions to the Bharat Shiksha Kosh, which would, in turn, provide support for the activities as decided by the Kosh in consultation with the donor.

The Kosh will fulfil the desires of the donors in utilising their contributions with accountability and as per their wishes. The Kosh permits sponsorships, under which any organisation or individual can become the sponsor (s) of the educational development of a particular village, town, city or of a school, college or even a single child through the payment of a specified amount. A school or college or any other institutions or even a building or block thereof may be named after the sponsor on payment of a prescribed amount. Chairs, prizes, scholarships and research projects in educational institutions could also be instituted in the names of the sponsors.

In view of the above, there is no reason for any misgivings on the part of the donors that their wishes would not be honoured. The affairs of the Kosh are reviewed in the meetings of the Board of Governors.

श्री आर.पी. गोयनका : सर, मेरा एक सीधा सवाल है कि अभी तक डोनर अपनी इच्छानुसार जिस इंस्टीट्यूशन को देना चाहता है, वह दे सकता है। अब जो नया कानून आया है उसमें एक कोष में, उन्हें देना पड़ेगा और फिर उनसे सलाह करके काम आगे बढ़ेगा। पहला जो यह रिफोर्म के खिलाफ जाता है। दूसरा, यह करके इनको क्या फायदा हुआ, क्या उद्देश्य है, यह मुझे नहीं पता?

डा. वल्लभभाई रामजीभाई कथीरिया :सभापति जी, भारत शिक्षा कोष बनाया गया है वह ऐसे उद्देश्य के लिए बनाया गया है कि हमारे यहां जो बजट और रिक्वायरमेंट होती है, उनमें काफी गैप है। हम चाहते है कि हमारी शिक्षा का बजट छह प्रतिशत अपनी नेशनल इनकम का हो लेकिन हम इतना कर नहीं पाते है इसलिए जो डोनेशन आए वह एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में नई प्रमोशन के

लिए नई चेयर, नई स्कोलरशिप, नई एजुकेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट के लिए आए, इसके लिए ही भारत शिक्षा कोष की स्थापना की गई है। इसमें ऐसा कोई व्यवधान नहीं होगा कि जो डोनर है उसको कोई दिक्कत होगी। अगर वह चाहता है तो अपने आप भी वहां दे सकता है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के बारे में इतना कहूंगा कि यह कोई एक्ट नहीं है। यह रजिस्टर्ड सोसायटी ऐक्ट के अनुसार एक एन.जी.ओ. है। वे इसमें जमा करेंगे तो अच्छी तरह से ऐसे पैसे का यूटिलाइजेशन हो सकेगा। ये जो डोनर होंगे, उनकी विश के आधार पर होगा। इसमें कोई प्राब्लम नहीं होने वाली है, इसके लिए मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं।

श्री आर.पी. गोयनका :सभापति जी, मुझे लगता है कि इन्हें मदरसों से डर है। ये खुलकर कहते नहीं है। अगर आपको मदरसों से डर है तो मंत्री जी आप स्कूलों तक, सैकेण्डरी और हाई स्कूलों तक बंधन डालिए, हायर स्टडी के लिए बंधन क्यों डाल रहे है?

डा. वल्लभभाई रामजीभाई कथीरिया :सभापति जी, ऐसा कोई बंधन नहीं है। न तो मदरसों, न किसी इंस्टीट्यूट और न ही सैकेण्ड्री के लिए है। उलटा मैं तो कहूंगा कि मदरसों के लिए हमने जो क्लास सिस्टम अडोप्ट किया है, वैसा एजुकेशनल रिफोर्म हमने वहां किया है। पूरे देश में मदरसों को अच्छी शिक्षा प्रणाली मिले, इसके लिए सरकार ने काफी प्रोत्साहित किया है। हमारा उद्देश्य केवल यह है कि इस तरह के कोर्स में जो रकम जमा की जाएगी वह अच्छे उद्देश्य केवल यह है कि इस तरह के कोर्स में जो रकम जमा की जाएगी वह अच्छे उद्देश्य, नए-नए इंस्टीट्यूट और ऐसे एजुकेशनल प्रमोशन कें लिए ही यूटिलाइज की जाएगी।

श्री अबु आसिम आजमी :सभापति जी, मैं ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से जानना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार ने पिछले तीन वर्षो में इस बात का अंदाजा लगाया है कि भारत शिक्षा कोष में एन.आर.आईज, द्वारा शिक्षा संस्थाओं की तरक्की के लिए कितनी धनराशि दी गई है? सबसे ज्यादा किस देश में काम करने वाले हमारे देश के होनहार नौजवानों ने भारत में काम करने वाले आई.आई.टी. मेंडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेजस अथवा एम.बी.ए. के किस कॉलेज को धनराशि दी है। मेरे प्रश्न का "बी" पार्ट है कि क्या भारत सरकार ने दुनिया के मुखतलिफ हिस्सों में काम करने वाले ....(**व्यवधान**)...

श्री सभापति :माननीय सदस्य एक ही प्रश्न अलाऊ करूंगा।

प्रो. रामगोपाल यादव :"बी" पार्ट है।

श्री सभापति : तीसरा प्रश्न बोल रहे है।

श्री अबू आसिम आजमी :नहीं "बी" पार्ट है। क्या भारत सरकार ने दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में काम करने वाले भारतीय नौजवानों और व्यापारियों को अधिक से अधिक धन देने के लिए

प्रोत्सहित करने की कोई योजना तैयार की है ताकि एन.आर.आईज. हमारे देश में काम करने वाली बड़ी पढ़ाई-लिखाई की संस्थाओं को अधिक से अधिक धन दे सकें? यदि हां, तो वह योजना क्या है?

डा. वल्लभभाई रामजीभाई कथीरिया :सभापति जी, पहले तो मैं यह बताना चाहता हूं कि भारत शिक्षा कोष लास्ट ईयर, हमारे यहां पर जो प्रवासी भारतीय दिन की नौ जनवरी को शुरूआत हुई, उसी दिन शुरू किया। इसमें पिछले दो-तीन साल का प्रश्न ही नहीं उठता कि कितनी धनराशि एकत्र की गई है? इसकी शुरूआत भारत सरकार ने एक करोड़ यपए का डोनेशन देकर की है। क्योंकि अभी तक इसका ज्यादा प्रचार-प्रसार नहीं हुआ है इसलिए काफी धनराशि नहीं आई है। आई.आई.टी. और आई.आई.एम. में जो पैसा जाता था उसका पहले कोई रिकार्ड नहीं रखा गया है इसलिए हम यह फिगर नहीं दे सकते कि पहले कितनी राशि आई थी। मैं तो एम.पीज. से कहूंगा कि हम सबको इसका प्रचार-प्रसार करने की आवश्यकता है। जब हम विदेश प्रवास में जाते है या भारतीय प्रवासी दिन हो तो वहां पर एन.आर.आईज. को बताएं कि इस देश में ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के लिए पैसे की जरूरत है और आप भारत शिक्षा कोष में पैसा डालिए। वे जहां, चाहेंगे वहां उसका यूटिलाइजेशन होगा। धीरे-धीरे इसका प्रचार-प्रसार हो रहा है। जैसे-जैसे यह पैसा आता रहेगा वैसे-वैसे उसका यूटिलाइजेंशन होता रहेगा।

श्री लालू प्रसाद :पैसा कैसे बांटा जाएगा।

DR.KARAN SINGH: Mr. Chairman, Sir, I would like to say that this move is highly objectionable because it seems that we are moving from a liberal to an illiberal society, from an open to a closed society. Nowhere in the world, in any democratic country, is it mandatory for all donations to go through an official Kosh. Why should it be? Academic is open for the world. Around the world, you have growth of institutions of IITs and of IIMs. Who has authorised the Government of India to issue instructions that all contributions that come into educational institutions must come through the Kosh? Why should it come through the Kosh? And not only that, Mr. Chairman, Sir, there should be instructions again that nobody can send a Professor out to another University. Nobody can invite a Professor without the sanction of the Ministry. Is some Under Secretary in the Ministry going to sit down and dictate to the Jawaharlal Nehru University, or, the Chennai University whom it is to invite? Sir, this is an extremely dangerous move. I would submit for your consideration that we need to have a proper discussion on this. Otherwise, the doors of our society are closing, and we are

becoming a closed and manipulated society.

डा. वल्लभभाई रामजीभाई कथीरिया :माननीय सभापति महोदय, सरकार का ऐसा कोई प्रयोजन नहीं है। केवल गवर्नमेंट एडेड् एजुकेशनल इंस्टीयूट और ...(**व्यवधान**)....

डा. कर्ण सिंह :अनिवार्य है सर। एक मिनट।

श्री सभापति :माननीय मंत्री महोदय, आपने जो प्रश्न उठाया है वह काफी महत्वपूर्ण है। इसलिए आप तैयार हो जाइये मैं आगे किसी समय इस पर चर्चा कराऊंगा।

डा. कर्ण सिंह : महोदय, एक छोटी सी बात अर्ज करूं। अगर यह कोष बनाते है। and makes it optionalजो कोष में देना चाहे वह कोष में दे, यह ठीक है। लेकिन उन्होंने अनिवार्य कर लिया है कोष में देना। यह बहुत ही आपत्तिजनक है और कभी स्वीकार नहीं करेंगे इस देश के लोग। ...(**व्यवधान**)..

SHRIS. VIDUTHALAIVIRUMBI: We can have a detailed discussion on this issue ...(**व्यवधान**)....

डा. वल्लभभाई रामजीभाई कथीरिया : माननीय सभापति महोदय, मैं एक क्लेरिफिकेशन करना चाहूंगा कि यह कोई अनिवार्य नहीं किया गया है, यह तो ऑप्शनल है, केवल गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूट के लिए यह प्रावधान बनाया गया है, बाकी कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट के लिए और कोई सेल्फ फाइनेंस के लिए यह कम्पलसरी नहीं है

Centrally Sponsored environment projects in Assam

*86. SHRI DWIJENDRA NATH SHARMAH: Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) the details of Centrally Sponsored environment projects launched in the State of Assam during the last three years;

(b) the total amount provided by Government for this purpose duirng this period;

(c) the details of the achievements made in this regard; and

(d) the details of such projects proposed to be launched in the State during the Tenth Plan?

THE MINISTER OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI T.R.